



1 6 4 1 के बाद इंगलैंड के राजघराने का सदस्य गिरफ्तार किया है ब्रिटेन की पुलिस ने

ब्रिटेन के वर्तमान महाराजा , किंग चार्ल्स के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी का कारण अंतर्राष्ट्रीय दुराचारी, एप्स्टीन को महत्वपूर्ण सरकारी खबरें व जानकारीयां भेजना है

—अंजन रॉय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 19 जनवरी। द्वितीय विश्व युद्ध के चरम समय में एक अंग्रेज व्यक्ति को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उसने उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को मूर्ख कहा था।

जब यह खबर ब्रिटिश संसद तक पहुँची तो हंगामा मच गया। सांसदों ने आम आदमी के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन करने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना शुरू कर दी। संसद ने एक स्वर में मांग की कि प्रधानमंत्री स्वयं सदन में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें।

विंस्टन चर्चिल तुरंत सदन में आए और चारुज सदस्यों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री को मूर्ख कहने के लिए नहीं,

- प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी उस समय अनिवार्य हो गई थी, जब उनकी एक फोटो और कागज़ात सार्वजनिक हो गए थे, जिसमें प्रिंस एंड्रयू किसी महिला, जो जमीन पर लेटी है, के ऊपर घुटनों के बल बैठे दिख रहे थे।
- प्रिंस एंड्रयू के ऊपर बच्चियों को अंतर्राष्ट्रीय धनादय, सभ्रांत व प्रभावशाली वर्ग में सप्लाई करने के गोरखधंधे में जाने-माने अपराधी एप्स्टीन के साथ लिप्त होने के आरोप लगे थे।
- एक टीनएजर वर्जीनिया ने प्रिंस एंड्रयू पर अमेरिका में “पीडोफाइल” बलात्कार व सैक्स का मामला दर्ज कराया था तथा इस अनुभव पर किताब भी लिखी थी उसे करोड़ों डॉलर देकर यह केस वापस करवाया गया था।
- प्रिंस एंड्रयू, 2000 के दशक में, ब्रिटेन के “ट्रेड एन्वॉय” (व्यापारिक राजदूत) भी थे तथा उन पर, सरकारी जानकारीयां एप्स्टीन को देने का संदेह भी था।

बल्कि युद्ध के समय दुश्मन को एक सरकारी राज का खुलासा कर देने के कारण गिरफ्तार किया गया था। यह सुनकर पूरा सदन हंस पड़ा।
आज एक वरिष्ठ ब्रिटिश शाही

सदस्य को एक कुख्यात अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सरगना को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने वह दृश्य देखा, जो उसने 1641 के बाद नहीं

देखा था, जब इंग्लैंड में शानदार क्रांति हुई थी और किंग चार्ल्स प्रथम को गिरफ्तार किया गया था।

उस वर्ष इंग्लैंड के राजा को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया

नई दिल्ली, 19 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव-हित पर आधारित होना चाहिए। एआई कुछ देशों या कंपनियों का साधन नहीं बने, बल्कि यह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का माध्यम बने। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए मानव विज्ञान पेश करते हुए कहा कि अवसरों के साथ जोखिम भी हैं, इसलिए इसे

- इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस भी मौजूद थे।

मानव-केंद्रित और जिम्मेदार तरीके से विकसित करना जरूरी है।

इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, वैश्विक तकनीकी कंपनियों के प्रमुख और उद्योग जगत के दिग्गज मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान 'नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट प्रतिबद्धताओं' की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य एआई को समावेशी, बहुभाषी और वैश्विक विकास का साधन बनाना है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एप्स्टीन से संबंधों के आरोप लगने से बिल गेट्स नदारद हुए एआई समिट से

बिल की अनुपस्थिति के बाद, पुरजोर दबाव बढ़ा कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी पर, इस्तीफा देने के लिए

— श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 19 फरवरी। दोषी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से अपने जुड़ाव –सम्बन्धी विवाद के चलते इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल न होने का फैसला करके, माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ और गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय विपक्षी नेताओं की उस मांग को बल दिया है, जिसमें वे केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

बिल गेट्स पिछले सप्ताह आंध्र प्रदेश के दौर पर भारत आए थे। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण से मुलाकात की।

कल तक गेट्स फाउंडेशन का कहना था कि पूर्व माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, तय कार्यक्रम के अनुसार, एआई समिट के चौथे दिन मुख्य भाषण देंगे। लेकिन गुरुवार को फाउंडेशन ने बयान जारी कर कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई समिट का फोकस उसके मुख्य उद्देश्यों पर बना रहे, बिल गेट्स मुख्य भाषण नहीं देंगे। समिट में गेट्स

- पहले तो पुरी यह कहकर बच रहे थे कि वे केवल तीन-चार बार ही एप्टीन से मिले हैं और वह भी एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में।

- पर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुरी झूठ बोल रहे हैं और उनकी 14 मुलाकातें हुई हैं, एप्टीन से तथा 62 ई-मेल एक्सचेंज की हैं।

- एप्टीन से मुलाकातों की चर्चा के बाद, माइक्रोसॉफ्ट ने वक्तव्य जारी किया कि बिल गेट्स अब एआई समिट का “की नोट उद्बोधन” नहीं देंगे, क्योंकि वे आईई पर ही फोकस रखना चाहते हैं।

- हाल ही में जारी एप्टीन फाइल्स में, एप्टीन ने यह दावा किया कि उन्होंने बिल गेट्स को खास दवाइयां उपलब्ध कराई थीं, उस “बीमारी” या दिक्कत से “डील” करने के लिए जो उन्होंने रूसी बच्चियों से “सैक्स” में लिप्त होने से प्राप्त की थी।

- बिल गेट्स की पत्नी मैलिंडा गेट्स ने हाल ही में दिए गए इन्टरव्यू में कहा कि उनके पति बिल गेट्स की एप्टीन से मीटिंग्स एक बड़ा कारण थीं, सत्ताईस साल पुरानी शादी टूटने का।

फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व अफ्रीका

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वर्ष 2025 के अंत तक सुप्रीम कोर्ट के 92,101 केस पैडिंग थे

यह संख्या 2023 की तुलना में 11.4 प्रतिशत अधिक है

- नवम्बर के अंत में सीजेआई सूर्यकांत के पद ग्रहण के बाद से दायर मामलों, व निपटाए गए मामलों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है।
- नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड आंकड़ों के अनुसार, गत 5 सालों से मामले निपटाने की गति बढ़ी है, फिर भी लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है।

—जाल खंभाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 19 जनवरी। पिछले सप्ताह केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद को बताया कि 2025 के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में 92,101 मामले लंबित थे। यह संख्या 2023 के अंत की तुलना में 11.4 प्रतिशत अधिक है, तब शीर्ष अदालत में लंबित मामलों की संख्या 82,674

थी। 2024 के अंत में यह संख्या थोड़ी घटकर 82,496 हो गई थी। नवंबर के अंत में जब मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने पदभार संभाला, उसके बाद दिसंबर में दायर मामलों और निपटाए गए मामलों के बीच का अंतर और बढ़ गया। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—यादवेन्द्र शर्मा—
जयपुर , 19 फरवरी। पिछली अशोक गहलोट सरकार के दौरान ही राजस्थान उन प्रदेशों में गिना जाने लगा था, जहां बेरोजगारी सबसे अधिक थी। दिसंबर 2023 में सदन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में रोजगार दर

वर्ष 2021–2022 में 22 प्रतिशत थी, जो 2022–2023 में बढ़ कर 23.1 प्रतिशत हो गई थी। परंतु गहलोट सरकार रोजगार के मुद्दे को लेकर क्या सच्चाई से और निष्ठा से कार्य कर रही थी, या केवल सुर्खियों बटोरने के लिए जिला स्तरीय युवा संबल मेले आयोजित कर रही थी। क्योंकि जयपुर में कौशल

रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 14–15 नवंबर 2022 को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित मेगा जॉब फेयर युवा संबल मेले में जिन 30,920 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, उन में से 13 फरवरी 2026 तक केवल 50 उम्मीदवारों को रोजगार पत्र जारी हुआ

है। उल्लेखनीय है कि 2022 के युवा संबल मेले में 72 कंपनियों ने भाग लिया था और इन कंपनियों ने 20,597 रिक्तियां प्रकाशित की थीं।

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि गहलोट सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने की जमीनी समस्या को केवल राजनैतिक मुद्दा ही समझा था, जिसे

अपने राजनैतिक फायदे के लिए उपयोग में लाया जा सकता था और फोटो खिंचवा कर सुर्खियां बटोरी जा सकती थी।

तुलना के लिए, वर्तमान सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित युवा संबल मेले में सौ कंपनियों ने भाग लिया था। इन कंपनियों

ने 10,032 रिक्तियां प्रकाशित करी थीं, जिनको भरने के लिए करीबन 5,507 ने युवाओं ने आवेदन किया था, इनमें से 3,292 को कंपनियों द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था और 13 फरवरी 2026 तक 885 युवाओं को रोजगार पत्र भी प्राप्त हो चुका है।

‘बिना इजाज़त देश नहीं छोड़ूंगा’

नई दिल्ली, 19 फरवरी। रिलायंस (एडीएजी) के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हलफनामा पेश किया, जिसमें उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए के कथित बैंकिंग और कार्पोरेट धोखाधड़ी मामले में कहा कि, "बिना किसी पूर्व अनमति के देश नहीं छोड़ूंगा।" उन्होंने

- 40,000 करोड़ रु. के बैंकिंग घोटाले केस में अनिल अंबानी ने हलफनामा दायर कर घोषणा की।

यह भी भरोसा दिलाया कि जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। यह मामला अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) से जुड़ा है, जिस पर बड़े पैमाने पर फंड डायवर्जन और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने शपथपत्र में अंबानी ने कहा, "मैं शपथ लेकर कहता हूं कि जुलाई 2025 में जांच शुरू होने के बाद से मैंने भारत नहीं छोड़ा है और फिलहाल विदेश जाने का कोई इरादा नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि अगर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—यादवेन्द्र शर्मा—
जयपुर, 19 फरवरी। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (रील) के प्रबंध निदेशक ब्रजेश दीक्षित की नियुक्ति को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपील दायर हुई। अपीलार्थी ब्रजेश दीक्षित ने अपील पर अंतिम निर्णय से पूर्व अदालत से गुहार की है कि उनकी नियुक्ति रद्द करने के एकल पीठ के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस पी शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा ने मामले की सुनवाई 20 फरवरी को तय की है तथा उस दिन इसे तीसरे नम्बर पर सूचीबद्ध किया है। इस मामले में अपीलार्थी ब्रजेश दीक्षित की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ए के शर्मा और अधिवक्ता सुरुचि कासलीवाल पैरवी के लिए पेश हुए थे।

उल्लेखनीय है कि अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने 13 फरवरी को ही उक्त मामले पर फैसला सुनाया था, जिसके आदेश की प्रति कल ही मीडिया

साथ साझा की गई है। इस आदेश में एकल पीठ ने मुख्य तौर पर दो मुद्दों को आधार बनाते हुए रील के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति को रद्द किया, जिनमें पहला था कि प्रबंध निदेशक की चयन प्रक्रिया के दौरान सभी नियम कायदों की पालना नहीं की गई। अदालत ने नियुक्ति को चुनौती दे रहे याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकारा और कहा कि चयन बोर्ड में राज्य सरकार के मुख्य सचिव को शामिल किया जाना चाहिए था। अदालत ने जिस दूसरे तर्क को निर्णय के लिए आधार बनाया, वो यह था कि रील केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हुए एक संयुक्त उपक्रम का परिणाम है, जिसमें से 51 प्रतिशत भागीदारी केन्द्र सरकार के हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय की है और 49 प्रतिशत राज्य सरकार की रीको के माध्यम से है।

आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ए के शर्मा ने अदालत को कहा कि एकल पीठ को गलत तर्क और तथ्य बताए गए कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव चयन बोर्ड में शामिल हैं।

- अपीलार्थी ब्रजेश दीक्षित ने कहा कि नियुक्ति के लिए गठित बोर्ड में राज्य सरकार या राज्य सरकार के मुख्य सचिव की कोई भूमिका न तो है और न ही रही है, परन्तु एकलपीठ में अपने फैसले में गलत तथ्य और तर्क दर्ज कर उनको रील के प्रबन्ध निदेशक के पद से हटाने के आदेश दिए।

- ब्रजेश दीक्षित की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता, ए.के. शर्मा और सुरुचि कासलीवाल ने अदालत को बताया कि तत्कालीन मुख्य सचिव की ओर से भी पत्र लिखकर स्पष्टीकरण दिया गया था कि रील के एम.डी. की चयन प्रक्रिया में राज्य सरकार के मुख्य सचिव को कभी भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। और न ही उनके पास कोई अधिकार है, परन्तु अदालत ने अपना फैसला सुनाते समय इस पत्र को आधार नहीं बनाया है।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि पूर्व में भी यह कभी नहीं हुआ कि रील के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए गठित बोर्ड में राज्य सरकार के मुख्य सचिव को आमंत्रित किया गया हो या

पक्षकार बनाया गया हो।

उन्होंने अदालत को बताया कि इस संदर्भ में स्वयं मुख्य सचिव ने पत्र के जरिए स्पष्टीकरण दिया है कि वे इस बोर्ड का हिस्सा नहीं है और न पहले रहे है।

उन्होंने अदालत को बताया कि यह पत्र अतिरिक्त महाधिवक्ता (ए ए जी) के माध्यम से एकल पीठ के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था, परंतु अदालत ने अपना फैसला सुनाते समय उक्त पत्र को आधार नहीं बनाया।

आज सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार व हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ए एस जी) भी पैरवी के लिए प्रस्तुत थे। उन्होंने अदालत को कहा कि एकल पीठ ने रीको और केन्द्र सरकार के संयुक्त उपक्रम को गलत दृष्टिकोण से देखा है। उन्होंने अदालत को कहा कि रीको राज्य सरकार की एक कंपनी जरूर है और उसके कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारी हैं, और एक प्राइवेट पार्टी रीको के खिलाफ अपने कानूनी व संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए एरिट याचिका दायर करे तो उसे राज्य सरकार की ही एक इकाई माना जाएगा, परंतु रीको जब किसी कर्मशिलिय अनुबंधन में सम्मिलित होता है तो उसे राज्य सरकार का अंग या विभाग नहीं माना जा सकता। उन्होंने

अदालत को बताया कि रील केन्द्र सरकार द्वारा ही प्रशासित एक कंपनी है, इसलिए उसके एम डी की नियुक्ति की प्रक्रिया केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, जिसमें राज्य और राज्य के मुख्य सचिव का न तो कोई पक्ष होता है और न ही कोई प्रतिनिधि। उन्होंने अदालत को यह भी कहा कि रील एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सरकारी कंपनी है, जिसके एम डी की नियुक्ति रद्द किए जाने के कारण कई महत्वपूर्ण कामों में बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने अदालत को बताया कि हाल ही में उन्होंने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश भर में दूध इकट्ठा कर रही डेरियों में दूध की शुद्धता सुनिश्चित की जाए, क्योंकि कई बड़ी ब्रांड्स के दूध के सैंपल मामूली जांचों में भी फेल होने की खबर सुर्खियों में थी। उन्होंने अदालत को बताया कि रील ही एक मात्र ऐसी संस्था है, जो दूध की शुद्धता नापने का उपकरण बनाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने लंबी सुनवाई के लिए इसे कल सूचीबद्ध किया है।

देश के बाकी राज्यों में अप्रैल से एसआईआर शुरू

नई दिल्ली, 19 फरवरी। चुनाव आयोग ने देश के बाकी बचे राज्यों में भी मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। संभावना है

- चुनाव आयोग ने इस संबंध में राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है।

कि बाकी बचे राज्यों में अप्रैल से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में संबंधित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को पत्र लिखा है। इन राज्यों—केंद्रशासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)